

3034 वकील नदी 390 है। नाम वसु
 दि० 12-4-18 को पेश है
 आवेदन पत्र

12-4-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
 अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं श्रीमान् पीठासीन
 अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-5-18
 को पेश हो।

रिडर

15-5-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
 अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष
 उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं श्रीमान् पीठासीन
 अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-6-18
 को पेश हो।

रिडर

15-5-18 पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली
 दि० 25-5-18 को राजस्व लोक अदालत बैम्प रवानपुर कौडा
 पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी

25-5-18 पत्रावली पेश हुई। वादी रामप्रसाद व प्रतिवादी
 फतेली, मवासीराम उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा
 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी दावे में रामप्रसाद
 प्रारूपिक त्रुटि होने के कारण अपना दावा नवीन
 दावा पेश करने की अनुमति के साथ वापिस
 ले रहे है। इसी अनुसार दावे का निस्तारण
 कर दिया जावे। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर
 वादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ
 यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पचा
 डिफ्री जारी किया जावे। प्रस्तुत दस्तावेज लौटा दिए जावे।

रामप्रसाद
 पत्रावली
 दिनांक 15

(रवि कुमार शर्मा)
 सदस्य
 लोक अदालत

(सतीश कुमार शर्मा)
 सदस्य
 लोक अदालत

(बाबू लाल जाट)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 गंगापुर सिटी